संख्या-35/2025/आई/887627/2025/001-23-14099(099)/1/2025

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत ले खाशीर्षक-3054-04-337-0800-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के विभिन्न जनपदों के कुल 39 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2936सी/371सी-गन्ना बाराबंकी भाग-5/24-25, दिनांक 31.12.2024, 2898सी/383सी-बदांयू भाग-23/24-25, दिनांक 26.12.2024, 2788सी/333सी-गन्ना अलीगढ़ भाग-23/24-25, दिनांक 17.12.2024, 2797सी/354सी-सीतापुर भाग-21/24-25, दिनांक 18.12.2024, 2852सी/368सी-गन्ना अयोध्या भाग-16/24, दिनांक 23.12.2024, 2809सी/387सी/गोरखपुर/भाग-5/24-25, दिनांक 19.12.2024, 2736सी/386सी/बदांयू/भाग-23/24-25, दिनांक 16.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 39 कार्यो, जिनके सम्मुख कॉलम-8 में 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य की अंकित लागत, जिसका कुल योग रू0 583.66 लाख (रूपये पांच करोड़ तिरासी लाख छाछठ हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कॉलम-10 में अंकित कुल रू0 416.00 लाख (रू0 चार करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	गन्ना विभाग के मार्ग हेतु निर्धारित क्रमांक	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	विधान सभा	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत	कुल लागत	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3695	नि.ख.-1 बाराबंकी	विद्यानगर पी0एम0जी0 एस0वाई0 रोड से बछलनपुरवा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	दरियाबाद	0.30	23.42	0.59	24.01	18.74
2	2159	नि.ख.-1 बाराबंकी	पिच रोड से सूर्यबली का पुरवा ग्राम सम्पर्क मार्ग बसावट का विशेष मरम्मत का कार्य।	दरियाबाद	0.65	8.44	1.26	9.70	6.75
3	3699	प्रा.ख.	कटका सेमरी मार्ग से डफलपुर	सदर	0.275	24.58	0.39	24.97	19.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		सुल्तानपुर	समपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।						
4	988	प्रा.ख. बदायूं	बदायूँ ककराला उसहैत मार्ग से शादीपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत	शेखूपुर	0.50	12.40	0.88	13.28	9.92
5	991	प्रा.ख. बदायूं	कैसोपुर रोड से सरननई मार्ग का अवशेष भाग पर विशेष मरम्मत	शेखूपुर	0.50	5.85	0.87	6.72	4.68
6	6405	नि.ख.-2 बदायूं	बदायूँ बिल्सी मार्ग से रमनगला मार्ग पर विशेष मरम्मत	बिल्सी	0.75	8.58	1.29	9.87	6.86
7	6410	नि.ख.-2 बदायूं	बल्लिया से बाबट मार्ग पर विशेष मरम्मत	बदायूँ	0.90	10.18	1.53	11.71	8.14
8	6415	नि.ख.-2 बदायूं	बदायूँ बिसौली मार्ग से दहेमी मार्ग पर विशेष मरम्मत	बदायूँ	0.75	10.45	1.58	12.03	8.36
9	6416	नि.ख.-2 बदायूं	बदायूँ वजीरगंज मार्ग से देहमी मार्ग द्वितीय पर विशेष मरम्मत	बदायूँ	0.21	10.89	0.46	11.35	8.71
10	6420	नि.ख.-2 बदायूं	बदायूँ वजीरगंज मार्ग पर पराग दूध डेयरी से देहमी भाग- प्रथम पर विशेष मरम्मत	बदायूँ	0.50	12.51	1.15	13.66	10.01
11	5747	प्रा.खं. अलीगढ	पोहिना से पला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	बरौली	1.30	22.99	2.20	25.19	18.39
12	2894	प्रा.खं. अमरोहा	चौहद्दा से मुहम्मदपुर बंगर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	धनौरा	1.15	14.63	2.19	16.82	11.70
13	6224	प्रा.खं. रामपुर	कोसी मन्दिर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	रामपुर	0.35	4.91	0.73	5.64	3.93
14	6212	प्रा.खं. रामपुर	टाण्डा जालपुर मार्ग से मानपुर चापट मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	स्वार	0.65	8.22	1.24	9.46	6.58
15	912	प्रा.खं. सम्भल	असमोली सम्भल रोड से सैदपुर जसकोली अवशेष भाग मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	असमोली	0.80	9.32	1.40	10.72	7.46
16	1442	नि.खं.- 4 सीतापुर	फरदापुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	महोली	0.38	6.11	0.92	7.03	4.89
17	3549	नि.खं.- 4 सीतापुर	लालपुर मार्ग पर जमुनहा के पास से महमूदपुर होते हुये गुलरिया मन्दिर तक का विशेष मरम्मत का कार्य	महोली	1.005	24.57	2.61	27.18	19.66
18	7029	नि.खं.- 4 सीतापुर	हरगांव कुशियारी पक्के मार्ग से शंकरपुर तक का विशेष मरम्मत का कार्य।	हरगांव	0.92	18.27	2.48	20.75	14.62
19	7075	नि.खं.- 4 सीतापुर	गौसापुर से पगरोई मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	हरगांव	0.65	11.58	1.73	13.31	9.26
20	3527	प्रा.खं. सीतापुर	रैघटा से पलौली अन्तिम भाग का विशेष मरम्मत का कार्य।	लहरपुर	0.60	7.91	1.18	9.09	6.33
21	3580	प्रा.खं. सीतापुर	मुगलपुर मरसण्डा रोड से सलारपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	हरगांव	0.75	13.23	1.59	14.82	10.58

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	3668	नि.ख.-4 अयोध्या	सरकतिया मजरा चौरा से मुगलसराय की ओर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	रूदौली	0.65	9.59	1.44	11.03	7.67
23	7173	नि.ख.-4 अयोध्या	फगौली ठकुरान नाले से दशरथमऊ सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	रूदौली	0.825	12.20	1.83	14.03	9.76
24	3516	नि.खं.-1 गोण्डा	गोण्डा उतरौला मार्ग से मझवा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	गोण्डा	1.20	14.64	2.19	16.83	11.71
25	2194	नि.खं.-1 गोण्डा	मेजापुर (मैनपुर) दुबौली से रामचन्दरपुरवा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	मनकापुर	0.85	10.86	1.63	12.49	8.69
26	7393	नि.खं.-3 गोरखपुर	पादरी बाजार पिच रोड से मोहनापुर होते हुए चुन्नीपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्यं	पिपराईच	2.50	43.87	6.58	50.45	35.10
27	7434	नि.खं.-1 बस्ती	हनुमानगंज पकरी सोपना संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	रूधौली	0.50	3.82	0.58	4.40	3.06
28	7435	नि.खं.-1 बस्ती	बरडाड़ तुरकौलिया संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कर्या।	रूधौली	0.20	2.63	0.39	3.02	2.10
29	7440	नि.खं.-1 बस्ती	मंझरिया शुक्ल से लोहठी संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	महादेवा	0.35	4.47	0.67	5.14	3.58
30	7449	नि.खं.-1 बस्ती	अम्बेडकरर ग्राम जिगिनी से अम्बेडकर ग्राम भेलखा तक संपर्क मार्ग	बस्ती सदर	0.78	9.94	1.49	11.43	7.95
31	7457	नि.खं.-1 बस्ती	बस्ती कांटे मार्ग के कि0मी0-18 से कुसम्हा तक संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	बस्ती सदर	1.50	21.10	3.16	24.26	16.88
32	7461	नि.खं.-1 बस्ती	एल0आर0पी0 रोड बस्ती गोरखपुर मार्ग से खजौला मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	बस्ती सदर	0.60	7.65	1.14	8.79	6.12
33	7483	नि.खं.-1 बस्ती	हर्दिया बहेरिया सकरौला मार्ग का अवशेष भाग का विशेष मरम्मत का कार्य।	बस्ती सदर	0.985	15.62	2.35	17.97	12.50
34	7493	नि.खं.-1 बस्ती	ग्राम पंचायत मझौवा कलां द्वितीय बड़ा पुरवा गंगाराम लोहार के घर से पिच रोड तक संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	रूधौली	0.50	6.38	0.96	7.34	5.10
35	7494	नि.खं.-1 बस्ती	कुसम्हा जिवधरा मार्ग के मोड़ से जिवधरा प्रा0वि0 के मोड़ तक विशेष मरम्मत का कार्य।	रूधौली	0.90	14.34	2.15	16.49	11.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

36	7495	नि.खं.-1 बस्ती	रसूलपुर में शिव मंदिर से तरेता मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	बस्ती सदर	0.50	8.07	1.22	9.29	6.46
37	3130	नि.ख. बदायूं	बगरैन से बरीपुरा गरगईया सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	बिसौली	1.75	21.43	3.21	24.64	17.14
38	6407	नि.ख. बदायूं	बदायूँ बिल्सी मार्ग से पिण्डौल भटटे से बढनौमी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सीसी एवं नाली का कार्य	सहसवान	1.60	33.83	2.80	36.63	27.06
39	6404	नि.ख. बदायूं	छिबऊकला मार्ग से किसैरा तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	सहसवान	0.90	10.53	1.59	12.12	8.42
			योग		**30.98**	**520.01**	**63.65**	**583.66**	**416.00**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
2. प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।
3. लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।
5. प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
6. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।
7. प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
8. विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 4,16,00,000 (रू0 चार करोड़ सोलह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 3054043370800 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 29 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।